मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] भोपाल, बुधवार, दिनांक 23 जनवरी 2008—माघ 3, शक 1929

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2008

अधिसूचना

फा. क्रमांक 6-2-2005-इक्कीस-ब(दो).—यत:, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरण याचिका (सिविल) क्रमांक 291/2005, श्रीमती सीमा विरुद्ध अश्वनी कुमार में दिनांक 14 फरवरी, 2006 तथा 25 अक्टूबर, 2007 को विवाह के लिए पक्षकार के धर्म या जाति को विचार में लिये बिना समस्त व्यक्तियों के विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण करने के लिए नियम विरचित करने हेतु निदेश दिया है;

और, यत:, राज्य सरकार ने यह आवश्यक समझा है कि उक्त आदेश को दृष्टि में रखते हुए नियम विरचित किए जाने चाहिए;

और, यत:, विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण हेतु नियमों का एक प्रारूप, पूर्व में मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, ने फा. क्रमांक 6-2-2005-इक्कीस-ब (2), दिनांक 29 नवम्बर, 2007 को अधिसूचना द्वारा ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' दिनांक 30 नवम्बर, 2007 के पृष्ठ क्रमांक 1141 से 1142 (11) पर प्रकाशित किया था;

और, यत:, उससे प्रभावित होने वाले संभावित समस्त व्यक्तियों से 29 दिसम्बर, 2007 तक आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, यत:, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक्रूप से विचार किया गया है;

अतएव, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का 43) की धारा 4 से 14 के साथ पठित धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार लागू होना और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नियम, 2008 है;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(3) ये नियम विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए लागू होंगे तथा विशेष विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्व में जारी किए गए नियमों या अधिसूचना पर अभिभावी नहीं होंगे किन्तु विवाहों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित किसी अन्य अधिनियम के अधीन पूर्व में बनाए गए नियमों पर अभिभावी होंगे.

(4) ये "राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का 43);

(ख) "विवाह" से अभिप्रेत है, एक पुरुष तथा एक स्त्री के बीच पक्षकारों के धर्म या जाति को विचार में लाये बिना, अनुष्ठापित, संपादित या संविदाकृत समस्त विवाह तथा इसमें सम्मिलित हैं वे विवाह जो किसी विधि, रूढ़ि, प्रथा या किसी परम्परा के अनुसार संपादित हों और इसमें पुनर्विवाह भी सम्मिलित है;

(ग) "विवाह रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 में यथाविनिर्दिष्ट तथा इन नियमों के नियम 5 के अधीन नियुक्त किया गया कोई विवाह अधिकारी;

(घ) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा.

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं किन्तु इसमें परिभाषित नहीं है वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है.

3. **विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण.**—इन नियमों के प्रारम्भ होने पर, मध्यप्रदेश के राज्य क्षेत्र के भीतर ऐसे विवाहों को प्रशासित करने वाली किसी विधि या रूढ़ि के अधीन, भारत के नागरिकों के बीच अनुष्ठापित या संविदाकृत प्रत्येक विवाह इन नियमों के अनुसार अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा.

4. **विवाह के अरजिस्ट्रीकरण का प्रभाव.**—इन नियमों के प्रारंभ होने पर किसी विधि या रूढ़ि के अधीन अनुष्ठापित तथा संविदाकृत विवाह और इन नियमों के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत न किए गए विवाह, विवाह के निश्चायक सबूत नहीं समझे जाएंगे.

5. **विवाह रजिस्ट्रार.**—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ग्राम पंचायत या नगरपालिका या नगर निगम या छावनी बोर्ड क्षेत्रों में विवाह रजिस्ट्रार के रूप में ऐसे विवाह अधिकारी नियुक्त कर सकेगा, जो कि वह इन नियमों के प्रयोजनों के लिए उचित समझे.

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन अधिसूचना जारी नहीं कर दी जाती है, तब तक स्थानीय प्राधिकारी, जो जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रीकृत करने के लिए सक्षम है, स्थानीय क्षेत्र के लिए विवाह रजिस्ट्रार होगा.

6. **विवाह रजिस्ट्रार का कार्यालय.**—विवाहों के प्रत्येक रजिस्ट्रार का अपना कार्यालय होगा तथा वह अपना नाम, पदाभिधान तथा नियमित कार्य के घंटे हिन्दी में लिखवाएगा तथा उस भवन के, जिसमें उसका कार्यालय स्थित है, सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करवाएगा.

7. **विवाह का रजिस्ट्रीकरण.**—(1) (क) विवाह के पक्षकार प्ररूप क्रमांक 1 में ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे और विवाह की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर उस क्षेत्र के विवाह रजिस्ट्रार को, जिसके क्षेत्र में विवाह अनुष्ठापित या संपादित हुआ हो, दो प्रतियों में व्यक्तिशः परिदत्त करेंगे या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेंगे.

(ख) विवाह रजिस्ट्रार विहित की गई परिसीमा से परे विवाह का ज्ञापन स्वीकार कर सकेगा, यदि विवाह का पक्षकार यह सिद्ध कर देता है कि वह, उसके नियंत्रण से परे किन्हीं पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था.

(ग) पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन का परीक्षण करने के पश्चात् विवाह रजिस्ट्रार, प्ररूप क्रमांक 2 में विनिर्दिष्ट रजिस्टर में ज्ञापन की प्रविष्टियों को दर्ज करेगा.

(घ) रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया प्रत्येक ज्ञापन, एक पृथक् प्रविष्टि समझा जाएगा और प्रत्येक प्रविष्टि एक क्रमवार श्रेणी में क्रमांकित की जाएगी जो प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के साथ प्रारंभ और समाप्त होगी और प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के आरंभ में एक नई श्रेणी प्रारंभ होगी.

(2) जहां विवाह रजिस्ट्रार का, जिसके समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, ज्ञापन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की छानबीन करने पर या उसकी जानकारी में कोई अन्य तथ्य आने पर या लाए जाने पर यह समाधान हो जाता है, या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि :—

(क) पक्षकारों के बीच विवाह, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार संपादित नहीं हुआ है;

(ख) पक्षकारों के बीच विवाह पक्षकारों की स्वीय विधि के अनुसार संपादित नहीं हुआ है;

(ग) पक्षकारों या साक्षियों या पक्षकारों की पहचान प्रमाणित करने वाले व्यक्तियों की पहचान और विवाह का अनुष्ठापन युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं किया जा सका है; या

(घ) उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेज पक्षकारों की वैवाहिक प्रास्थिति साबित नहीं करते हैं, तो वह पक्षकारों को सुनने और कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् विवाह को रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर सकेगा; और—

(एक) पक्षकारों से ऐसी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जैसी कि पक्षकारों और साक्षियों की पहचान या उसे प्रस्तुत की गई जानकारी या दस्तावेजों की शुद्धता सिद्ध करने के लिए आवश्यक समझी जाए; या

(दो) यदि आवश्यक समझा जाए तो, कागज-पत्रों को स्थानीय पुलिस स्टेशन को, जिसकी अधिकारिता के भीतर पक्षकार निवास करता है, सत्यापन के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा.

(3) जहां उपनियम (2) में यथाउपबंधित, और सत्यापन होने पर विवाह रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि विवाह को रजिस्ट्रीकृत करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो वह उसको रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा और यदि उसकी राय में विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए इंकार करने का आदेश पारित कर सकेगा.

(4) उपनियम (3) के अधीन विवाह का रजिस्ट्रीकरण या विवाह के रजिस्ट्रीकरण से इंकार विवाह के रजिस्ट्रीकरण के ज्ञापन की प्राप्ति की तारीख से दो मास की कालावधि के भीतर किया जाएगा.

(5) उपनियम (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत विवाह के विघटन पर, विवाह के दोनों में से किसी पक्षकार पर, विवाह रजिस्ट्रार को विवाह के विघटन के ब्यौरों की सूचना देना बाध्यकारी होगा तथा ऐसे ब्यौरे प्राप्त होने पर विवाह रजिस्ट्रार प्ररूप क्रमांक 2 में विनिर्दिष्ट विवाह रजिस्टर के कालम (16) में ऐसे ब्यौरे प्रविष्ट करेगा. विवाह के विघटन के पश्चात् यदि कोई व्यक्ति विवाह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति की अपेक्षा करता है, तो विवाह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विवाह के विघटन के तथ्य उल्लिखित किये जाएंगे.

8. **आयु का सबूत.**—विवाह रजिस्ट्रार अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि विवाह के पक्षकारों ने, धारा 4 के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली है, उनसे यह अपेक्षा करेगा कि उनकी आयु को साबित करने के लिए जन्म प्रमाण-पत्र या कोई अन्य समाधानप्रद साक्ष्य पेश करे.

9. **विवाह रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध अपील.**—(1) नियम 7 के अधीन विवाह को रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार करने वाले विवाह रजिस्ट्रार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर जिला न्यायाधीश को अपील कर सकेगा.

(2) जिला न्यायाधीश पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसके कारणों को लेखबद्ध करते हुए, एक आदेश पारित करेगा और विवाह रजिस्ट्रार को विवाह को रजिस्टर करने या विवाह रजिस्ट्रार के आदेश की पुष्टि करने का निदेश देगा.

(3) उपनियम (2) के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा.

10. **विवाहों का रजिस्टर.**—(1) विवाह रजिस्ट्रार उस स्थानीय क्षेत्र में जिसके लिए उसकी नियुक्ति हुई है, अनुष्ठापित या संपादित किए गए विवाहों का एक रजिस्टर, प्ररूप क्रमांक 2 में, संधारित करेगा और ज्ञापन में पक्षकारों द्वारा दिये गये विवरणों की प्रविष्टि करेगा और उसे अधिप्रमाणित करेगा.

(2) विवाह रजिस्ट्रार, विवाह के रजिस्ट्रीकरण के समय नकद में तीस रुपये की फीस का भुगतान करने पर प्ररूप क्रमांक 3 में विहित पक्षकारों को विवाह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र और प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति, जब अपेक्षित हो, जारी करेगा. विवाह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्ररूप क्रमांक 3 में हिन्दी में जारी किया जाएगा किन्तु यदि विवाह का पक्षकार यह अपेक्षा करे कि उसका अंग्रेजी पाठ जारी किया जाये तो वह उपलब्ध कराया जाएगा.

(3) विवाह के किसी पक्षकार द्वारा अपेक्षा किए जाने पर विवाह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा दिए गए पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा और डाक प्रभार आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा.

11. **रजिस्टर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुला रहेगा.**—विवाहों का रजिस्टर, समस्त युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुला रहेगा और आवेदन करने पर, उसके प्रमाणित उद्धरण नकद में बीस रुपये की फीस का भुगतान करने पर विवाह रजिस्ट्रार द्वारा आवेदक को दिए जाएंगे.

12. **विवाह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का सत्यापन करने के लिए नियोजक आदि के दायित्व.**—कोई भी नियोजक या शासकीय या अर्द्ध-शासकीय प्राधिकारी या कंपनी या सार्वजनिक उपक्रम या स्थानीय प्राधिकारी अपने कार्यालय अभिलेख में या किसी कार्यालय दस्तावेज में कोई परिवर्तन जैसे उसके कर्मचारी की वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन या नामनिर्देशन में परिवर्तन तब तक नहीं करेगा जब तक कि कर्मचारी या यथास्थिति ऐसे परिवर्तन को क्रियान्वित करने के लिये या अभिलिखित करने के लिए आवेदन करने वाला आवेदक, नियम 9 के उपनियम (2) के अधीन अनुदत्त या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुदत्त विवाह के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं कर देता है.

13. **विवाह के ज्ञापन में मिथ्या कथन करने के लिए शास्ति.**—कोई व्यक्ति जो विवाह के ज्ञापन में मिथ्या कथन करता है या सत्यापित करता है जिसके बारे में वह जानता/जानती है या उसके मिथ्या होने का विश्वास है, तो उसे तत्समय प्रवृत्त प्रचलित विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा.

14. **रजिस्टर को नष्ट करने या परिवर्तित करने पर शास्ति.**—जो कोई भी रजिस्टर को नष्ट करता है या छेड़छाड़ करता है, तो वह तत्समय प्रवृत्त किसी प्रचलित विधि के अनुसार दण्डित किया जाएगा.

15. **विवाह रजिस्ट्रार लोक सेवक होगा.**—प्रत्येक विवाह रजिस्ट्रार भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे.

16. **इन नियमों के अधीन कार्य कर रहे व्यक्तियों का संरक्षण.**—विवाह रजिस्ट्रार या उसके अधीनस्थ किसी कर्मचारी के विरुद्ध इन नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

17. **राज्य सरकार द्वारा निदेश जारी करने की शक्ति.**—राज्य सरकार समय-समय पर, इन नियमों के उपबंधों के प्रभावी तथा सुकर क्रियान्वयन हेतु विवाह रजिस्ट्रार को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो इन नियमों के उपबंधों से असंगत न हो तथा संबंधित जिले के विवाह रजिस्ट्रार पर कलक्टर का अधीक्षण होगा.

प्ररूप क्रमांक-1
ज्ञापन का प्रोफार्मा

[नियम 7(1) (क) देखिए]

वर तथा वधु का पासपोर्ट आकार का छायाचित्र जो स्वतः अनुप्रमाणन के पश्चात् चिपकाया जाए.	

प्रति,

विवाह रजिस्ट्रार,
. . . .
. . . .
. . . .

1. (क) वर का नाम तथा पता . . . .
   (ख) जन्म तारीख . . . .
   (ग) पिता का नाम . . . .
   (घ) विवाह के समय आयु . . . .
   (ङ)) निवास का पता . . . .
   ग्राम/ मोहल्ला . . . .
   पोस्ट आफिस . . . .
   पुलिस स्टेशन . . . .
   जिला . . . .
   (च) प्रास्थिति : अविवाहित/विधुर/विच्छिन्न विवाह . . . .

2. (क) वधु का नाम . . . .
   (ख) जन्म तारीख . . . .
   (ग) पिता का नाम . . . .
   (घ) विवाह के समय आयु . . . .
   (ङ)) निवास का पता . . . .
   ग्राम/ मोहल्ला . . . .
   पोस्ट आफिस . . . .
   पुलिस स्टेशन . . . .
   जिला . . . .
   (च) प्रास्थिति : अविवाहिता/विधवा/विच्छिन्न विवाह . . . .

3. (क) विवाह की तारीख . . . .
   (ख) विवाह का स्थान . . . .
   ग्राम/ मोहल्ला . . . .
   पोस्ट आफिस . . . .
   पुलिस स्टेशन . . . .
   जिला . . . .

4. विवाह का प्रकार (हिन्दू/ मुस्लिम / क्रिश्चियन / आर्य समाज आदि). . . . .

5. क्या विवाह किसी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या पुजारी/काज़ी/चर्च का पादरी/ आर्य समाज या किसी अन्य धार्मिक संस्था द्वारा सम्पादित किया गया है, यदि हां तो विवाह प्रमाण-पत्र तथा उसके अन्य ब्यौरों की सत्यप्रति संलग्न करें.

(.....................)
वर के हस्ताक्षर
बांये हाथ के अंगूठे का निशान

(.....................)
वधु के हस्ताक्षर
बांये हाथ के अंगूठे का निशान

(.....................)
व्यक्ति के हस्ताक्षर जो विवाह सम्पादित करवाता है

स्थान : ....

तारीख : ....

साक्षी : (हस्ताक्षर, नाम तथा पूरा पता)

(1) ....

(2) ....

टीप.—प्रत्येक वर तथा वधु के पासपोर्ट आकार के दो छायाचित्र विवाह रजिस्टर तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में चिपकाने के लिए एतद्द्वारा संलग्न है.

प्ररूप क्रमांक-2

[नियम 7(1) (ग) तथा 10 (1) देखिए]

विवाह रजिस्टर का प्रोफार्मा

अनु-क्रमांक	आवेदन प्राप्त करने की तारीख	वर का नाम तथा पता इस कॉलम में फोटो चिपकाएं तथा रजिस्ट्रार इसे अपने हस्ताक्षर तथा मुद्रा से अनुप्रमाणित करेगा	जन्म तारीख	विवाह की तारीख पर आयु	विवाह की तारीख पर पक्षकार की प्रास्थिति, अविवाहित/ विधुर/विच्छिन्न विवाह	वधु का नाम तथा पता इस कालम में फोटो चिपकाएं तथा रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर तथा मुद्रा से अनुप्रमाणित करेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

जन्म तारीख	विवाह की तारीख पर आयु	विवाह की तारीख पर पक्षकार की प्रास्थिति, अविवाहिता/विधवा/विच्छिन्न विवाह	विवाह की तारीख	विवाह का स्थान/मोहल्ला/पुलिस स्टेशन/तहसील, जिला	व्यक्ति का वर्णन जिसने विवाह सम्पादित कराया	विवाह रजिस्ट्रार का आदेश/परिणाम	अपील प्राधिकारी का आदेश	विवाह के दोनों में से किसी पक्षकार द्वारा विवाह के विघटन के ब्यौरों की दी जाने वाली सूचना (यदि कोई हो)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

प्ररूप क्रमांक-3

[नियम 10(2) देखिए]

विवाह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक . . . .

एतद्द्वारा, यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... पुत्र ....
आयु .... निवासी .... जिला ....
और श्रीमती .... पुत्री ....
आयु .... निवासी .... जिला ....
तारीख ....को विवाह बंधन में सहबद्ध हुए हैं.

तारीख : .... **विवाह रजिस्ट्रार**

स्थान : .... (हस्ताक्षर तथा मुद्रा)

विवाह रजिस्ट्रार के अनुप्रमाणन के साथ वर तथा वधु का पासपोर्ट आकार का छायाचित्र चिपकाया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद भारद्वाज, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2008

फा. क्र. 6-2-2005-इक्कीस-ब(दो).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद भारद्वाज, अपर सचिव.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 326] भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 जुलाई 2009—आषाढ़ 24, शक 1931

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मई 2009

क्र. एफ. 10-19-2008-तेईस-यो.आ.सां.—मध्यप्रदेश विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नियम, 2008 के नियम 5 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा द्वारा नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधिकारियों को नगरीय एवं ग्रामीण इकाइयों के लिए विवाह रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	इकाईयां (2)	पदाभिधान (3)	(4)
(अ)	**ग्रामीण इकाई :**		
	(1) ग्राम पंचायत	सचिव, ग्राम पंचायत	विवाह रजिस्ट्रार
(ब)	**नगरीय इकाईयां :**		
	(1) नगर पंचायत	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	विवाह रजिस्ट्रार
	(2) नगरपालिका	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	विवाह रजिस्ट्रार
	(3) नगर निगम	आयुक्त, नगर निगम	विवाह रजिस्ट्रार
	(4) छावनी क्षेत्र (केन्टोनमेंट एरिया)	छावनी बोर्ड का प्रशासकीय अधिकारी	विवाह रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजकुमारी खन्ना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मई 2009

क्र. एफ 10-19-08-तेईस-यो.आ.सां.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक सूचना, दिनांक 23 मई 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजकुमारी खन्ना, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd May 2009

No. F 10-19-08-XXIII.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 5 of the Madhya Pradesh Compulsory Registration of Marriages Rules, 2008, the State Government hereby appoint the following officers as Registrar of Marriages for the Urban and Rural Units as specified in the table below, namely :—

TABLE

S.No. (1)	Units (2)	Designation (3)	(4)
(A)	**Rural Units :**		
	(1) Gram Panchayat	Secretary, Gram Panchayat	Registrar of Marriages
(B)	**Urban Units :**		
	(1) Nagar Panchayat	Chief Municipal Officer	Registrar of Marriages
	(2) Municipality	Chief Municipal Officer	Registrar of Marriages
	(3) Municipal Corporation	Commissioner, Municipal Corporation	Registrar of Marriages
	(4) Cantonment Area	Administrative Officer of Cantonment Board.	Registrar of Marriages

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJKUMARI KHANNA, Dy.Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.